

रूस-यूक्रेन संघर्ष

चर्चा में क्यों:

रूस ने रूस-यूक्रेन सीमा के पास बड़ी संख्या में सैनिकों को इकट्ठा किया, जिससे दोनों देशों के बीच आसन्न युद्ध और यूक्रेन के संभावित कब्जे पर आशंका बढ़ गई।

रूस - यूक्रेन संबंध:

- यूक्रेन और रूस सैकड़ों वर्षों के सांस्कृतिक, भाषाई और पारिवारिक संबंधों को साझा करते हैं।
- रूस और यूक्रेन के जातीय रूप से रूसी भागों में कई लोगों के लिए, देशों की साझा विरासत एक भावनात्मक मुद्दा है जिसका चुनावी और सैन्य उद्देश्यों के लिए शोषण किया गया है।
- सोवियत संघ के हिस्से के रूप में, यूक्रेन रूस के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली सोवियत गणराज्य था, और सामरिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण था।



रूस-यूक्रेन संघर्ष का कारण क्या था?

- दिसंबर 2021 में, रूस ने पश्चिम के लिए 8-सूत्री मसौदा सुरक्षा समझौता प्रकाशित किया। मसौदे का उद्देश्य यूक्रेन संकट सहित यूरोप में तनाव को दूर करना था। लेकिन इसमें यूक्रेन को उत्तरी

अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) में शामिल होने से प्रतिबंधित करने, नाटो के और विस्तार को कम करने, क्षेत्र में अभ्यास को अवरुद्ध करने आदि सहित विवादास्पद प्रावधान थे।

- मसौदे पर बातचीत विफल रही, और रूस-यूक्रेन सीमा पर रूसी सेना के निर्माण के साथ तनाव बढ़ गया।
- संकट ने वैश्विक सुर्खियां बटोर ली हैं और इसे एक नए "शीत युद्ध" या यहां तक कि "तीसरे विश्व युद्ध" को ट्रिगर करने में सक्षम होने के रूप में करार दिया गया है।

वर्तमान स्थिति:

- रूस अमेरिका से आश्वासन मांग रहा है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं किया जाएगा। हालांकि अमेरिका ऐसा कोई आश्वासन देने को तैयार नहीं है। इसने देशों के मध्य गतिरोध की स्थिति उत्पन्न कर दी है, जिस कारण हज़ारों रूसी सैनिक यूक्रेन पर आक्रमण करने के लिये तैयार हैं।
- पश्चिमी देशों से प्रतिबंधों में राहत और अन्य रियायतें प्राप्त करने के लिये रूस यूक्रेन की सीमा पर तनाव बढ़ा रहा है। रूस के खिलाफ अमेरिका या यूरोपीय संघ द्वारा किसी भी प्रकार की सैन्य कार्रवाई विश्व के समक्ष एक बड़ा संकट उत्पन्न कर देगी और अब तक इसमें शामिल किसी भी पक्ष द्वारा इसपर विचार या बातचीत नहीं की गई है।

संघर्ष के कारण:

- शक्ति संतुलन
- पश्चिमी देशों के लिये बफर ज़ोन
- काला सागर' में रूस की रुचि
- यूक्रेन में यूरोमैदान आंदोलन
- यूक्रेन में अलगाववादी आंदोलन
- रूस द्वारा क्रीमिया पर आक्रमण
- यूक्रेन की नाटो सदस्यता

रूस-यूक्रेन के बीच मिन्स्क समझौता:

- 2014 की यूक्रेन क्रांति और यूरोमैडन आंदोलन के बाद, पूर्वी यूक्रेन में डोनेट्स्क और लुहान्स्क क्षेत्रों (एक साथ डोनबास क्षेत्र कहा जाता है) में नागरिक अशांति भड़क उठी, जो रूस की सीमा में है।
- इन क्षेत्रों में अधिकांश आबादी रूसी हैं और यह आरोप लगाया गया है कि रूस ने वहां सरकार विरोधी अभियान चलाया। रूसी समर्थित विद्रोही और यूक्रेनी सेना क्षेत्र में सशस्त्र टकराव में लगे हुए हैं।

मिन्स्क प्रोटोकॉल (मिन्स्क I):

- सितंबर 2014 में, मिन्स्क प्रोटोकॉल (मिन्स्क I) पर हस्ताक्षर करने के लिए वार्ता यूक्रेन, रूस और यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन (ओएससीई) से मिलकर त्रिपक्षीय संपर्क समूह द्वारा आयोजित की गई थी। यह एक 12-सूत्रीय युद्धविराम सौदा है जिसमें हथियार हटाने, कैदी विनिमय, मानवीय सहायता आदि जैसे प्रावधान शामिल हैं, लेकिन दोनों पक्षों द्वारा उल्लंघन किए जाने के बाद यह समझौता विफल हो गया।

मिन्स्क प्रोटोकॉल (मिन्स्क II):

- 2015 में, पार्टियों द्वारा मिन्स्क II नामक एक अन्य प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसमें विद्रोही नियंत्रित क्षेत्रों को अधिक शक्ति सौंपने के प्रावधान शामिल थे। लेकिन यूक्रेन और रूस के बीच मतभेदों के कारण धाराएं लागू नहीं हुई हैं।

अंतरराष्ट्रीय ध्यान देने की जरूरत क्यों:

- देश के पूर्व में कीव और रूस समर्थक विद्रोहियों के बीच लड़ाई में चौदह हजार लोग मारे गए हैं। मानवाधिकारों के लिए उच्चायुक्त के संयुक्त राष्ट्र कार्यालय की अक्टूबर 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, इनमें से 3,393 नागरिक मौतें थीं।

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया:

- यूरोपीय संघ और अमेरिका ने क्रीमिया और पूर्वी यूक्रेन में रूस की कार्रवाइयों के जवाब में कई उपाय किए हैं, जिसमें व्यक्तियों, संस्थाओं और रूसी अर्थव्यवस्था के विशिष्ट क्षेत्रों को लक्षित करने वाले आर्थिक प्रतिबंध शामिल हैं।

भारत प्रतिक्रिया:

- रूस-यूक्रेन संघर्ष के मुद्दे पर भारत ने लंबे समय से सतर्क चुप्पी साध रखी है। इस बार भी, भारत इस उम्मीद में धैर्यपूर्वक रवैया बनाए हुए है कि कुशल वार्ताकारों द्वारा स्थिति को शांतिपूर्वक संभाला जाएगा लेकिन हाल ही में भारत ने इस मामले पर बात की है और दीर्घकालिक शांति और स्थिरता के लिए निरंतर राजनयिक प्रयासों के माध्यम से इस मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया है। लेकिन यह भी ध्यान देने योग्य है कि भारत ने 2014 में रूस पर क्रीमिया के कब्जे के बाद यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता को बरकरार रखते हुए संयुक्त राष्ट्र के एक प्रस्ताव में मतदान करने से परहेज किया था।